राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 93/2016

पंजीयन दिनांक 21.06.2018

(1). छगन लाल पिता भागचंद जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(2). अम्बालाल पिता भागचन्द जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम

-अपीलांट्गण

(1). बदामी पुत्री ताराचंद पति कंवर लाल जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(2). रमेश पिता भैरूलाल जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(3). मुकेश पिता भैरूलाल जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(4). पुष्पा बेवा भैरूलाल जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(5). देवीलाल पिता ताराचंद जाति नाई निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(6). मांगीबाई पुत्री ताराचंद जाति नाई निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(7). गीता पुत्री ताराचंद पति मोडीराम जाति नाई निवासी नेनुरा जिला चित्तौड़गढ़।

(8). दाखी पुत्री ताराचंद पति हरीशचन्द्र जाति नाई निवासी नया गांव तहसील व जिला नीमच।

(9). शांति पुत्री ताराचंद पति बाबरू लाल जाति नाई निवासी बडवल तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(10). भागवंती पिता ताराचंद पति प्रहलाद जाति नाई निवासी सरलाई तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

(11). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादड़ी तहसील बडीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादड़ी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 91/2006(88/2013) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). कृष्णगोपाल व्यास-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). शांतिलाल बसेर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण सख्या 1
(3). अब्दुल हमीद- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 11

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक 13.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पीण्ड तहसील बडीसादड़ी की खाता संख्या 266 मे दर्ज आराजी संख्या 779 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा सख्या 781 रकबा 7 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकार्ड है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिवार के मूलपुरूष नाथू के दो लड़के भागचन्द व ताराचंद हुए । ताराचंद की मृत्यु हो चुकी है तथा ताराचंद की पत्नी बेवा फुली बाई जीवित है जो वादपत्र मे प्रतिवादिया संख्या 10 है। मृतक ताराचंद के दो लडके भैरूलाल व देवीलाल तथा 6 पुत्रियां मांगीबाई, गीता, दाखी, बदामी, शांति व भागवंती हुई। बादामी वादपत्र मे वादिया है एवं शेष पुत्रियां वादपत्र मे बतौर प्रतिवादीगण सम्मिलित की गई है। ताराचंद के पुत्र भैरूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके पुत्र रमेश व मुकेश है तथा उसकी बेवा पुष्पा वादपत्र मे प्रतिवादी है। मृतक ताराचंद के खाते की आराजी मे ताराचंद की संतान क्रमशः भैरूलाल, मांगीबाई, देवीलाल, गीता, दाखी, बदामी, शांति तथा भागवती का प्रत्येक का बराबर-बराबर हक हिस्सा है। मूल पुरूष भागचंद ने नाथू की मृत्यु के बाद अपना हिस्सा बंटवाड़े से अलग दर्ज करवा लिया तथा वर्तमान मे वादग्रस्त आराजीयात मे कोई हक हिस्सा नहीं होने से भागचंद को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादिया का 1/9 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 का शामलाती 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा है। परन्तु प्रतिवादीगण देवीलाल , भैरूलाल व बेवा फूली बाई ने राजस्व रेकॉर्ड मे राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करा ली। भैरूलाल की मृत्यु होने से विरासत से उसके पुत्र रमेश, मुकेश व भैरूलाल की बेवा पुष्पा के नाम दर्ज हो गई। जबकि वादग्रस्त आराजीयात वादिया एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमे वादिया व प्रतिवादीगण का हक व अधिकार ताराचंद की मृत्यु से ही स्थापित हो चुका है इसलिए वादिया वादग्रस्त आराजीयात मे अपना 1/9 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने की अधिकारी है। तथा इसी अनुसार वादिया वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बंटवाड़ा कराने की अधिकारी है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से को पृथक राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 व 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत हुआ। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कांउटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी के रूप मे गवाह फुली बाई एवं बदामी के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। दिनांक 23.06.2016 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नोट प्रेस करा वादपत्र मे पैरवी नहीं करने से एक्स पार्टी करार दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। जिसके लिये तारीख पेशी 30.06.2016 नियत की गई। दिनांक 30.06.2016 को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के वादिया का 1/9 हक हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा कर वादिया के निहित 1/9 हक हिस्से को पृथक खाते मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण वादिया के हिस्से व खातेदारी की आराजी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने व तहसीलदार बडीसादडी को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तैयार करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा स्वयं को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 से प्रभावित होना बताकर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमती प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय मे प्रार्थीगण/अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 सी.पी.सी. दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलांट्गण को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित होना मानकर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्गण ने वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार देवीलाल से उसके निहित देवीलाल का संपूर्ण 1/3 हिस्सा एवं फूली बाई बेवा ताराचंद के निहित 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2006 से क्रय किया है। अपीलांट्गण क्रय दिनांक से ही उक्त क्रयशुदा आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु वादिया ने जानबूझकर उक्त तथ्य को छिपाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र मे अपीलांट्गण को पक्षकार कायम नही किया व एकतरफा मे उक्त निर्णय व डिक्री पारित करवा ली जो विधि अनुरूप नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की है परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का अलग-अलग विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2020(2) पेज 1118, आर.एल.डब्ल्यु. 2021(3) एस.सी. पेज 2291, ए.आई.आर. 2019 एस.सी. पेज 719 व डी.एन.जे. 2020(3) राज. पेज 846 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...में प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत हुआ। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कांउटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य वादी के रूप मे गवाह फुली बाई एवं बदामी के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। दिनांक 23.06.2016 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नोट प्रेस करा वादपत्र मे पैरवी नहीं करने से एक्स पार्टी करार दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। जिसके लिये तारीख पेशी 30.06.2016 नियत की गई। दिनांक 30.06.2016 को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के वादिया का 1/9 हक हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा कर वादिया के निहित 1/9 हक हिस्से को पृथक खाते मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण वादिया के हिस्से व खातेदारी की आराजी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने व तहसीलदार बडीसादडी को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तैयार करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्गण ने वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार देवीलाल से उसके निहित देवीलाल का संपूर्ण 1/3 हिस्सा एवं फूली बाई बेवा ताराचंद के निहित 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2006 से क्रय किया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलांट्गण के पक्षकार नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादड़ी प्रकरण संख्या 91/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि अपीलांटगण को प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार कायम किया जाकर, जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर, अजसरे, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.10.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)